

//आदेश//

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत स्व0 श्री शिव नरायन सोनी फर्मस्वामी सर्वश्री आदित्य आलोक ज्वैलर्स, बाराबंकी, जिनकी दिनांक 01.06.2018 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावा प्रकरण में बीमा कम्पनी सर्वश्री दि ओरियन्टल इश्योरेन्स कम्पनी लि0, लखनऊ द्वारा बीमित धनराशि रू0 5.00 लाख का भुगतान किये जाने के पश्चात्, शासनादेश संख्या-क0नि0-4-1351 / 11-2017-400(94) / 2000 दिनांक 27.10.2017 के क्रम में आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदार श्रीमती सुशीला सोनी, पत्नी को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है ।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-उ0प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिए जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा ।


(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, अयोध्या सम्भाग अयोध्या ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, अयोध्या सम्भाग- बी को सूचनार्थ ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5. उपायुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, बाराबंकी ।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरण में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु ।
7. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय ।
8. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु ।


अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।